प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. **जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .वर्ष 2022**
   प्र0इ0रि0 सं0 ...../145 **/2022................दिनांक**....27/04/2022
2. (I) ***अधिनियम ...** धाराये. 7, 7ए, (संशोधित) पीसी एक्ट 2018
   (II) ***अधिनियम............धारायें 120बी भादस..**
   (III) ***अधिनियम ....धारायें ....**
   (IV) **'अन्य अधिनियम एवं धारायें ....**
3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** ....512............ **समय** . 5:40 pm
   (ब) **अपराध घटने का दिन** -गुरुवार दिनांक 26.04.2022 समय 12:56 पी.एम.
   (स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** 05.04.2022 समय 03:30 पी.एम.
4. **सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक** लिखित
5. **घटनास्थल:-** अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान सस्थान, ग्राम तम्बाकुपुरा, जीण माता रोड़, जिला सीकर, राजस्थान
   (अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-** उत्तर-पश्चिम दिशा दूरी करीब 120 कि0मी0
   (ब) **पता :**
   बीट संख्या...........................जयरामदेही सं..............................
   (स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
   पुलिस थाना ....जिला ....
6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :-**
   (अ) **नाम:-** श्री मनीष कुमार रणवा
   (ब) **पिता/पति का नाम** - श्री गोविन्द सिंह
   (स) **जन्म तिथि/वर्ष** ....24 वर्ष.....................
   (द) **राष्ट्रीयता** .भारतीय
   (य) **पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह ....**
   (र) **व्यवसाय** .
   (ल) **पता** - निवासी ग्राम गुनाठु, तहसील धोद, जिला सीकर राजस्थान
7. **<u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित</u> :-**
   श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामदेव सिंह, जाति जाट, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम पायली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान हाल कॉलेज कर्मचारी, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान सस्थान, तम्बाकुपुरा, जीण माता रोड़, जिला सीकर व अन्य
8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....**
9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**
   18,000 रूपये रिश्वती राशि
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य:-** 18,000/-रूपये रिश्वती राशि
11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....**
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-**

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 05.04.2022 को परिवादी श्री मनीष कुमार रणवा पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति जाट, उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गुनाठु, तहसील धोद, जिला सीकर, राजस्थान ने अति0 पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा मेरे सगे जीजाजी राजेशजी अरावली बीएड कॉलेज जीणमाता रोड़, सीकर से बीएड कोर्स कर रहे हैं। मेरे जीजाजी के कहने पर मैं उक्त बीएड कॉलेज में उनकी परीक्षा के बारे में पता करने कल दिनांक 04.04.2022 को गया था। वहां पर विनोद भाखर नामक कॉलेज कर्मचारी ने मुझसे प्रतिवर्ष 15,000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये दो वर्ष के लिए रिश्वत मांगी तथा कहा कि उक्त रुपये देने पर ही परीक्षा में शामिल होने दिया जायेगा तथा यूनिवर्सिटी से भी पास करवा देगें तथा कक्षा में आने की भी जरुरत नहीं रहेगी सारे काम घर बैठे करवा देंगे। इस प्रकार उक्त विनोद द्वारा मेरे जीजाजी को यूनिवर्सिटी से बीएड पास करवाने के नाम पर तथा अन्य कार्य के लिए 15,000 हजार रुपये प्रतिवर्ष रिश्वत मांगी जा रही है। जो मै देना नहीं चाहता तथा विनोद को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी विनोद से कोई रंजिश अथवा उधारी नहीं है ना ही मेरे जीजाजी की रंजिश व उधारी है। मजीद दरियाफ्त पर पूछने पर परिवादी ने बताया कि मेरे जीजाजी द्वारा बीएड कोर्स हेतु उक्त कॉलेज की वार्षिक फीस ऑनलाईन जमा करवाई जा चुकी है। मेरे जीजाजी द्वारा भी उक्त रिश्वत मांगने की शिकायत करने की सहमति दी गई है। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने का तरीका समझाकर श्री आशीष कानि. नं. 208 का परिवादी श्री मनीष कुमार रणवा से परिचय करवाया जाकर दिनांक 13.04.2022 को श्री आशीष कानि. को परिवादी के पास भिजवाया जाकर मांग सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान संदिग्ध श्री विनोद कुमार द्वारा उपरोक्त कार्य की ऐवज में 18,000 रुपये लेना तय किया गया। इसके बाद परिवादी श्री मनीष कुमार के पास रिश्वती राशि की व्यवस्था हो जाने पर कार्यालय कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-द्वितीय (दक्षिण), जयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान पाबंद किये जाकर दिनांक 26.04.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्री मनोहर सिंह हैड कानि. 42, श्री हरिसिंह कानि. नम्बर 19, श्री राजकुमार कानि. 364, श्री आशीष कानि. 208, श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री उत्तम चंद वरिष्ठ सहायक व श्री विष्णु कुमार वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखकर ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युसी 8798 मय चालक के रवाना होकर जयपुर सीकर हाईवे पर सीकर से पहले गोरियां गांव पहुंचा, जहां पर पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी श्री मनीष कुमार रणवा उपस्थित मिला। जहां पर दिनांक 13.04.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता की वार्ता रूपान्तरण तैयार की जाकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर वॉईस क्लिप 03 डीवीडी में रिकार्ड/सेव कर मार्का अंकित किया जाकर डीवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व डीवीडी अनुसार कपड़े के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। परिवादी श्री मनीष कुमार को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000-2000 रूपये के 09 नोट कुल 18,000 रूपये पेश किये। उक्त नोटों को फर्द में अंकित करवाकर नोटों पर श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक से नियमानुसार फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पाउडर युक्त नोट परिवादी श्री मनीष कुमार की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में श्री संजीव कुमार मीना कनिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर हिदायत की गई कि संदिग्ध आरोपी के मांगने पर उक्त राशि उसे सुपुर्द करें, इससे पूर्व उक्त पाउडरयुक्त राशि को हाथ नहीं लगावे तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने

के बाद परिस्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल या संक्षिप्त संकेतात्मक वार्ता कर ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा करने की परिवादी को हिदायत दी गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही ट्रेप पार्टी के तम्बाकुपुरा गांव के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को भी तम्बाकुपुरा गांव में अरावली शिक्षण सस्थान से पहले मिलने की हिदायत कर कानि. आशीष के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया जाकर तम्बाकुपुरा गांव में अरावली बीएड कॉलेज से पहले पहुंच कर सरकारी वाहन को सड़क से साईड में खड़ा करवाया गया तथा परिवादी श्री मनीष कुमार रणवा को विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर को पुनः चालु व बंद करने का तरीका समझाकर तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा करने की परिवादी को हिदायत दी जाकर परिवादी को अरावली कॉलेज के लिए रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता के परिवादी के पीछे-पीछे पैदल-पैदल रवाना होकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों को कॉलेज के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम कर परिवादी के ईशारे का इतंजार किया गया। उसके कुछ समय बाद परिवादी श्री मनीष कुमार ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान सस्थान से पूर्व हिदायतानुसार मोबाईल वार्ता की सकेंतात्मक वार्ता से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकिम ट्रेप पार्टी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने साथ लेकर अरावली कॉलेज के अन्दर पहुंच कर परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा। परिवादी मनीष कुमार रणवा ने अपने पास खड़े सफेद रंग की बनियान एवं काले रंग व सफेद पट्टी का पायजामा पहने व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री विनोद कुमार कॉलेजकर्मी है। जिसने मुझसे रिश्वती राशि हाथ में ना लेकर अभी-अभी 18,000 रूपये पलंग के ऊपर रखे अखबार में रखवा कर प्राप्त किये है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेपपार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामदेव सिंह, जाति जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम पायली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान हाल कॉलेज कर्मचारी, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान सस्थान, तम्बाकुपुरा, जीण माता रोड़, जिला सीकर होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री विनोद कुमार को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री मनीष कुमार से 18,000 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री विनोद कुमार ने बताया कि यह कॉलेज मेरे बड़े भाई श्री प्रकाश के संचालन में है, वो ही कॉलेज के सचिव है तथा मेरा भाई कभी-कभी यहां आता है, इस कॉलेज के संचालन संबंधी कार्य मैं ही देखता हूं। मैंने श्री मनीष कुमार से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इसके पश्चात मौके पर मौजूद परिवादी श्री मनीष कुमार ने श्री विनोद कुमार के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि श्री विनोद कुमार ने मुझसे मेरे जीजाजी की कॉलेज में प्रजेन्ट लगाने तथा यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं आने देने की ऐवज में रिश्वत राशि 18,000 रुपये लेना तय कर मुझसे अभी-अभी 18,000 रूपये रिश्वत राशी प्राप्त कर अन्दर पलंग के ऊपर रखे अखबार में रखवाये है। परिवादी से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो श्री विनोद कुमार व परिवादी की लेन-देन के समय की वार्ता होना पाई गई। घटनास्थल आरोपी के संचालन की कॉलेज होने, बाहर भीड़ का जमावड़ा व अन्य व्यवधान की संभावना होने के कारण वहां अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव प्रतीत नहीं होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने पुलिस थाना राणोली पहुंच कर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा जिस अखबार पर रिश्वती राशि रखी हुई थी, उस अखबार को रिश्वती राशि सहित स्वंतंत्र गवाह श्री उत्तमचंद को सुरक्षित संभंलावकर मुनासिब हिदायत की जाकर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से कानि. आशीष के साथ पुलिस थाना राणोली के लिए रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, आरोपी श्री विनोद कुमार, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों तथा मय आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन एवं चालक के रवाना होकर पुलिस थाना राणोली पहुंचकर मन् थाना रानोली पर आगामी कार्यवाही की अनुमति प्राप्त कर आगामी

कार्यवाही की गई। पुलिस थाने पर परिवादी श्री मनीष कुमार रणवा मय कॉनि. आशीष के उपस्थित मिला। इसके बाद जिस अखबार पर रिश्वती राशि रखी हुई थी, उस अखबार को रिश्वती राशि सहित पूर्व में स्वंतंत्र गवाह श्री उत्तमचंद के पास सुरक्षित रखी हुई को दोनों स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो 2000-2000/रूपये के 09 नोट कुल 18,000/रूपये मिले। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो 2000-2000/रूपये के 9 नोट कुल 18,000 रूपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6 DU 512602
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8 KL 833484
3.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1 FW 781074
4.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7 EE 247699
5.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2 BU 508101
6.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2 FE 440367
7.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7 BG 072631
8.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2 HN 539022
9.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2 HR 596542

उपरोक्त 18,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को साबुन से अच्छी तरह धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के उक्त गिलास के घोल में अखबार जिसके ऊपर से रिश्वती राशी बरामद हुई थी, अखबार के उस स्थान को एक साफ कपड़े की चिंदी से पौछकर उस कपड़े की चिंदी को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया व अखबार जिसके ऊपर से रिश्वती राशी बरामद हुई थी, उक्त अखबार पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ''पी'' अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। आरोपी श्री विनोद कुमार कर्मचारी कॉलेज अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान सस्थान से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किये गये व परिवादी श्री मनीष कुमार व आरोपी के मध्य रिकॉर्ड रिश्वत सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन की वार्ता से मिलान हेतु अपनी नमूना आवाज देने हेतु फर्द नमूना आवाज पृथक से बनाई गई तथा आरोपी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मूर्तीब की गई। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया गया। इसके बाद परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी में डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर वॉईस क्लिप का वार्ता रूपान्तरण लेपटॉप की सहायता से तैयार किया जाकर रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर रिकॉर्ड वार्ता की नियमानुसार तीन डीवीडी में रिकार्ड/सेव किया जाकर मार्का अंकित किये गये तथा शिल्ड शुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली आदि कार्यवाही की गई। उसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर गिरफ्तारशुदा आरोपीं, शिल्ड शुदा आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स मय साजो सामान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन के

रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे एवं शिल्डशुदा आर्टिकल्स को चौकी मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है, कि परिवादी श्री मनीष कुमार से 30,000 रुपये की मांग उसके जीजा श्री राजेश को अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान सस्थान, तम्बाकुपुरा, जीण माता रोड़ से बीएड कोर्स के अध्ययन के दौरान परीक्षा में शामिल होने देने, युनिर्वसिटी से उत्तीर्ण करवाने, कॉलेज में अनुपस्थिती की प्रजेन्ट लगाने तथा यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं आने देने व अन्य कार्य करवाने हेतु दिनांक 13.04.2022 को सत्यापन के दौरान आरोपी श्री विनोद कुमार द्वारा उपरोक्त कार्य की ऐवज में 18,000 रुपये लेना तय कर दिनांक 26.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री विनोद कुमार द्वारा परिवादी से 18,000/रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपी द्वारा परिवादी को यूनिवर्सिटी से बीएड कराने के संबंध में नियम विरुद्व मदद का आश्वासन भी दिया गया है। जिस हेतु यूनिवर्सिटी से बीएड की प्रक्रिया में संबंधित यूनिवर्सिटी के अधिकारी/कर्मचारीगण की भूमिका के संबंध में अनुसंधान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आरोपी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामदेव सिंह, जाति जाट, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम पायली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान हाल कॉलेज कर्मचारी, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान सस्थान, तम्बाकुपुरा, जीण माता रोड़, जिला सीकर व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(नीरज गुरनानी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त आरोपी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामदेव सिंह, जाति जाट निवासी ग्राम पायली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर हाल कॉलेज कर्मचारी, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान सस्थान, तम्बाकुपुरा, जीण माता रोड़, जिला सीकर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 145/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांक 1278-82 दिनांक 27.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रमसंख्या-2 जय
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा(ग्रुप-4), शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर